

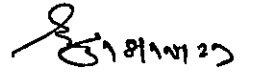
बिहार सरकार
उद्योग विभाग
अधिसूचना

संख्या-5/स0 बियाडा (औद्योगिक क्षेत्र)-09/2022

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 1974 की धारा 2 (च) धारा 4 (क) (i) एवं अन्य सुसंगत प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों द्वारा कार्यकारी निदेशक (संचालन), बियाडा, पटना के पत्रांक 6562/Estt दिनांक-16.10.2023 द्वारा अनुशंसित 33.772 एकड़ भूमि लेदर कलस्टर भेड़ियाडांगी, किशनगंज के रूप में तथा 14.628 एकड़ भूमि औद्योगिक क्षेत्र, भेड़ियाडांगी, किशनगंज के रूप में अधिसूचित किया जाता है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से



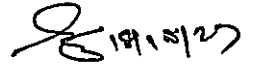
(दिलीप कुमार)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक.....6080

दिनांक.....18/10/23

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई0 गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को एक सॉफ्ट कॉपी एवं दो हार्ड कॉपी के साथ बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।



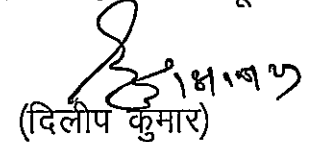
(दिलीप कुमार)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक.....6080

दिनांक.....18/10/23

प्रतिलिपि:- महालेखाकार बिहार, पटना/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सरकार के सभी विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्ता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



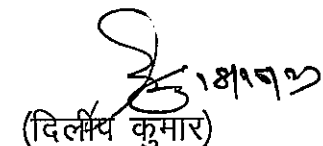
(दिलीप कुमार)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक.....6080

दिनांक.....18/10/23

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, पटना/ निदेशक, उद्योग निदेशालय/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय/निदेशक, तकनीकी विकास/निदेशक, हस्तकरधा एवं रेशम, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ माननीय मंत्री, उद्योग विभाग के आप्त सचिव, बिहार, पटना/ अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग के प्रधान आप्त सचिव, बिहार, पटना/विशेष सचिव, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/ आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(दिलीप कुमार)

सरकार के विशेष सचिव